

विचार

सम्पादकीय

अब कर्नाटक में बदलाव

बासवराज बोम्हई लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और उनके करीबी भी माने जाते हैं तो संकेत यही है कि वह येदियुरप्पा को नाराज होने का मौका नहीं देंगे। फिर येदियुरप्पा के बैटे के राजनीतिक भविष्य का भी सवाल है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के एक बार फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और बासवराज बोम्हई के उनकी जगह लेने से राज्य में पिछले कुछ समय से जारी अनिश्चितता तो खत्म हो गई, लेकिन उन्हें ही भरोसे के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की आगे की राह की दुश्वारियां भी खत्म हो गई हैं। वैसे भी छह महीने के अंदर यह तीसरा मौका है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला गया है। इनमें से दो मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड में बदले गए। वैसे, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का तर्क समझा जा सकता है। येदियुरप्पा 78 साल के हो चुके हैं।

क्या पार्टी 2023 में 80 साल के नेता की अगुआई में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हुए चुनाव में उत्तरती? अगर ऐसा नहीं करना था तो मुख्यमंत्री बदलने के फैसले में और देर करने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन कोई यह बात उस नेता को कैसे समझा ए, जो चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पद से हटाए जाने की टीस येदियुरप्पा के मन में गहरी है और इसकी झलक उन्होंने इस्तीफे की घोषणा के समय दिए गए अपने वक्तव्य में भी दिखला दी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कर्नाटक में पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। अपने इस हाथ की ताकत वह न केवल खुद मानते हैं बल्कि इसे झुठलाने की कोशिश करने पर 2013 में इन्हीं हाथों से बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर इसे रिवर्स रूप में भी दिखा चुके हैं। तब अपनी अलग पार्टी बना कर उन्होंने बीजेपी का सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया था। हालांकि 2018 में उनके रहते हुए भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, पर ‘ऑपरेशन कमल’ के जरिए सत्तारुद्ध विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर उन्हें पार्टी में लाने और उपचुनावों में जिताकर पार्टी विधायकों की संख्या बढ़ा लेने का कमाल उन्होंने कर दिखाया। इस तरह बीजेपी बहुमत में आ गई और राज्य में उसकी सरकार बन गई। जाहिर है, इसी वजह से मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने अपना हक माना और वह उन्हें मिला। लाख टके का सवाल यह है कि बदले हालात में उनका क्या रुख रहने वाला है? चूंकि बासवराज बोमर्ड लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और उनके करीबी भी माने जाते हैं तो संकेत यही है कि वह येदियुरप्पा को नाराज होने का मौका नहीं देंगे। फिर येदियुरप्पा के बैटे के राजनीतिक भविष्य का भी सवाल है। कर्नाटक में नई राजनीतिक व्यवस्था अभी तो ठीक दिख रही है, लेकिन क्या इससे बीजेपी को अगले चुनावों में समीकरण साधने में भी मदद मिलेगी? इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है।

लोकनाथ तिवारी

অসম ঔর মিজোৰম কী সীমা পৰ 26 জুলাঈ কো দোনোৱ রাজ্যে কী
পুলিস কে বীচ জো খুনি সংৰঘণ্হ হুআ, দেশ মেঁ শায়দ হী পহলে কৰ্ণী এসা
হুআ হো। লেকিন যহ ঝঙগড়া অচানক নহী হুআ। 10 জুলাঈ কো বিগতিন
ক্ষেত্ৰ মেঁ অসম পুলিস অতিক্ৰমণ হটানে পছুচী, তব ভী উস পৰ হমলা
হুআ থা। পিছলে সাল অক্টোবৰ মেঁ ভী দো বার দোনোৱ রাজ্যে কী সীমা পৰ
আগজনী ঔৰ হিংসা হুই থী। তব মিজোৰম কে দো লোগোৱ কো জল দিয়া
গণ্যা থা। অসম ঔৰ মিজোৰম কী সীমা কাল্পনিক হৈ, জো নদিয়ো,
পহাড়ো, ধাটিয়ো ঔৰ জংগলোৱ কে সাথ বদলতী রহতী হৈ। পিছলে কুছ সালো
মেঁ দোনোৱ রাজ্যে কে বীচ তনাব নে ধার্মিক রং ভী লে লিয়া হৈ। অসম কে
সীমাবৰ্তী ইলাকোৱ মেঁ অধিকতৰ নিবাসী বংগালী হৈ, জিনমেঁ মুসলিম সমুদায়
কী সংখ্যা অচৰ্ছী-খাসী হৈ। মিজোৰম কে লোগ কহতে হৈ কি য শৱণাৰ্থী
হৈ ওঁ ঔৰ উনকী জমীন পৰ কঢ়া জমানা চাহতে হৈ। মিজোৰম মেঁ মুসলিম
আবাদী 1991-2001 কে বীচ 122.54 ফীসদী বৰ্দী হৈ, লেকিন কুল
আবাদী কে প্ৰতিশত কে রূপ মেঁ যহ কাফী কম হৈ। 2001 মেঁ রাজ্য মেঁ কৰৈৰ
10 হজাৰ মুসলমান যানী কুল আবাদী কে ডেং প্ৰতিশত সে কম। ইসকে
বাবজুড় ইস মামলে কো লেকৰ হিংডুওঁ ঔৰ মুসলমানোৱ কে বীচ তনাব বড়
ৰহা হৈ। মিজোৰম কী কুল আবাদী 12 লাখ হৈ। যহাং মিজো জাতি কা
বৰ্চস্ত হৈ, জিসকী জনসংখ্যা মেঁ হিস্সেদারী 74 ফীসদী হৈ। মিজো কে বাদ
দূৰসী প্ৰমুখ কম্বুনিটী চকমা হৈ। কুল আবাদী মেঁ চকমা 9 ফীসদী হৈ।
মিজোৰম ঔৰ অসম কে বীচ সীমা বিগদ কী জড়ে ঔপনিৰেশিক কাল সে

की मौत हुई। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय इस राजा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की योजना लुश यानी मिजो हिल्स की तलहटी पर चाय बागान लगाने की थी। 1875 अंग्रेजों ने फिर इन लाइन रेगुलेशन (आईएलआर) लागू किया ताकि



असम म पहाड़ा आर आदिवासी इलाका का अलग किया जा सक। इसे आदिवासी इससे खुश थे, उन्हें लगा कि अब कोई उनकी जमीन नहीं। अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। ब्रिटिश राज ने 1933 में कछार और मियांगिल हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमारेखा खींच दी। इस प्रक्रिया में मियांगिल

पेट्रोल और डीजल पर लगे टैक्स से प्राप्त राजस्व कहाँ जाते हैं

कृष्णा ज्ञा

दस घटा से भा आधक खटन क बाद भा आध से भा कम वतन पर, जो रोजगार में लगे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी आज भी आसमान ही छु रही है, ऐसी जनता आज प्रत्येक लीटर तेल के लिये सौ रुपए खर्च कर रही है। कर देनेवाली जनता, जिसकी इतनी भी आय नहीं है आज कि वह कम से कम अपने पूरे परिवार की भूख ही मिटा सके, आज यह जवाब मांगने का अधिकार रखती है। कुछ विशेष तबकों को छोड़ आज सभी आर्थिक स्तरों पर जीवन बिताने वाली जनता, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से अकल्पनीय अभाव और आर्थिक कष्ट के दौर से गुजर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति दर में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि बुनियादी तौर पर होती है प्रत्येक पेट्रोल डीजल की प्रत्येक ईकाई मूल्य वृद्धि के साथ। एसबीआई के ही सूत्रों से जीवन स्तर के घटने और बुनियादी जरूरतों में कटौती का मूल कारण हर बार ईंधन की कीमत में वृद्धि होती है। गैर बुनियादी जरूरत तो नहीं ही पूरी की जाती ही बुनियादी जरूरतों को भी परा करना मुश्किल हो जाता है। ईंधन की दर में आसमान छुने वाली बढ़ोतरी ने जीना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी बना दिया है।

अनिवार्य रूप से आवश्यक व्यय, जिसमें बुनियादी जरूरतें भी आती में भी अब यह कटौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईधन की कीमतों में ज तक 75 प्रतिशत तक बढ़ातेरी हो चुकी थी, जबकि यह मार्च, 2021 62 प्रतिशत तक थी। आज लोगों के लिये अपने प्रियजनों समेत जिद जीना असंभव ही होता जा रहा है, घर का बजट किसी भी कटौती पूरा नहीं पड़ता, ऊपर से आज कोविड-19 की मृत्यु छाया में भेड़िल खर्च भी जुड़ गया है। पूरा देश पैनडेमिक की ओट से मृतप्राय हो चुका भीषण अभाव और गर्मी की आग में जलती जनता चरम बर्बादी की काप पर खड़ी है।

मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया है क्योंकि आजीवन की गुथियाँ जितनी बढ़ रही हैं, उतनी ही कठिन होती जा रही उन्हें समझ पाना मुश्किल ही होता जा रहा है। आर्थिक और सामाजिकीवन में असहनीय परिवर्तनों को समझ नहीं पाने के कारण जनता असहिष्णुता भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से जो बढ़ा हुआ राजस्व सरकार को मिलता है, उसे व्यय करने के प्रयत्न पर केंद्र का उत्तर था कि यह सारी आय बुनियादी संरचना और विकासशील योजनाओं पर खर्च की जाएगी। मार्च के लोकसभा सत्र में यह जानकारी गई थी कि पेट्रोल और डीजल के एक्साइज इयूटी से 2014-15 72,500 करोड़ रुपए तक की राशि केंद्र को मिली थी। यह 2020-21

ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने नई सीमा का विरोध किया और 1875 आईएलआर को फिर से लागू करने की मांग की। 1947 में देश आजाद हुआ और इसके तीन साल बाद असम इसका एक राज्य बना। तब असम में आज के नगार्लैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। नॉर्थ-ईस्टर्न एरिया (रीओर्गेनाइजेशन) एक्ट 1971 के तहत असम से तीन नए राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया। मिजो शांति समझौते के तहत 1987 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। यह मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इसका आधार 1933 का एप्रीमेंट था। 30 जन 1986 को मिजोरम के नेताओं ने मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें सीमा तय की गई है, लेकिन नियम 1875 को माने या 1933 को? दोनों राज्यों के बीच इस बात ही विवाद है। मिजोरम कहता है कि 1875 के नियमों का पालन किया जाए। असम 1933 की सीमा की बात करता है। मिजोरम और असम के बीच सोमवार को हुए हिस्क संघर्ष के बाद दोनों ने एक-दूसरे पर अवैध अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं। मिजोरम का दावा है कि असम ने उसके 509 वर्गमील जमीन पर कब्जा कर रखा है। असम से टूटकर ही उत्तर पूर्व राज्यों का गठन हुआ था। फरवरी, 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक यह असम का ही एक जिला था। जानकार यह भी कहते हैं कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को ईमानदारी से सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। 1995 के बाद कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन उनका नतीजा नहीं निकला। इसे सुलझाने में और देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिजोरम का 700 किलोमीटर क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगता है। इसलिए यह मुद्दा देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, यूं भी म्यांमार में तखापलट होने के बाद से मिजोरम में वहां से काफी शरणार्थी आ रहे हैं।

सूचना का (अधिक) अधिकार और अलादीन का चिराग

डा. सुधा कुमारा

सन् २००३ में जब सूचना का अधिकार आधानयम पारित हुआ था तो पूरे देश में खुशी की लहर उठी थी। जिस सूचना या कागजात की तलाश में हम वर्षों से परेशान थे और हमारे काम हर्ज हो रहे थे, वो अब हमारे पास था। हम अपने आवश्यक कागज और सम्बन्धित सूचना पाकर अब अपना कार्य अच्छी तरह कर सकते थे। अलादीन का जादूई चिराग अब हमारे हाथ आ गया था जिसे जब मर्जी तब घिस दो और जिनन-हाज़िरष्ठजो हुक्म, मेरे आका! लाल फीताशाही का अभेदय कवच ढूट चुका था। 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' नाम से ख्याति प्राप्त अधिकारिक ढाचा अब काँच का घर बन गया था जिसे कोई भी कभी भी पत्थर मारकर तोड़ सकता था और सूचना अधिकारी की नीद उड़ा सकता था। यदि सूचना अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित है जिसका जननित से दूर- दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है, तो भी सूचना न मिलने पर अपील का अधिकार तो सुरक्षित है ही। यदि अधिकारी ने सूचना देने से इंकार किया तो उच्चाधिकारी के पास अपील और वहां से भी टरकाया गया तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग के पास नालिश। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सरकारी नौकरी में पेंशन और शक्ति का अस्तित्व देखकर कई गैर- सरकारी व्यक्ति सरकारी नौकरी वाले से या तो फायदा उठाना चाहते या उससे चिढ़ते- जलते हैं। यह मान लिया जाता है कि यहाँ भृष्टाचार अवश्य होगा और यदि नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? शादी तय करने वक्त सरकारी नौकरी वाले लड़के की ऊपरी आमदानी पूछी जाती है। उसके पास कितना 'पावर' है? गाड़ी उपलब्ध है या नहीं? उससे कितने लोगों को नौकरी दिलवाई जा सकती है? एक ईमानदारी अधिकारी जिसने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, अधिकारी नहीं समझा जाता। वह तो एक अदना - सा 'दूसरे टाइप' का वेतनभोगी कर्मचारी माना जाता है। जब समाचारों में कहा जाता है कि अमुक 'मलईदार पद' अमुक व्यक्ति को दिए गए तो इससे आप लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। यही लोग सूचना का अधिकार माँगने सबसे पहले आते हैं। अधिकार इतना व्यापक और लागत कितनी - सिर्फ रु. १०/- जरा रु. १०/- में पूछी जानेवाली जानकारी के कुछ उदाहरण

दोषयोग : भारत में कुल कितने राजपात्रत अधिकारी हैं ? भारत में कुल कितने सरकारी वाहन हैं ? भारत में कुल कितने वाहनों का कितनी बार सरकारी काम के लिये प्रयोग हुआ ? भारत में कुल कितने अधिकारी वाहन भत्ता नहीं लेते और वाहन का प्रयोग ऑफिस आने-जाने के लिए करते हैं ? (यह सिर्फ एक आवेदक का प्रश्न है)

भारत में कुल कितने आकस्मिक कर्मचारी हैं ? उनके नाम, पता और फोन नं. दें ? भारत में कुल कितने लोग टैक्स चोरी करते हैं ? भारत में कुल कितने लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते ? भारत में कुल कितने लोग टैक्स से मुक्त हैं ? मैंने पत्र द्वारा सूचित किया था कि अमुक व्यक्ति टैक्स - चोर है। इसके बाद भी आपने 'ऐक्शन' क्यों नहीं लिया ? इसकी जानकारी दें। अमुक 'पैन' किस व्यक्ति का है ? उसका सालाना आय कितनी और आय के स्रोत क्या है ? उसके आयकर रिटर्न की कॉपी मुझे दें। मझे हल्के में न लें। यह सूचना अनिवार्य है। इसे तुरंत उपलब्ध कराएँ। वरना हम प्रधान सेवक और उनके प्रधान अनुसेवक को शिकायत लिखेंगे। क्या आपके विभाग में अमुक व्यक्ति पर पुलिस में कभी कोई एफ.आई.आर. हुई है ? अगर इसका उत्तर 'हाँ' है तो उसका क्या नतीजा निकला ? उस व्यक्ति पर क्या विभागीय कार्रवाई हुई ? इसकी इत्तला मुझे दें, रु.10/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है। मेरे द्वारा 'चाहा गया' सूचना यह है कि पूरे भारत में कुल कितने लोग अमुक विभाग में पिछले 15 साल से काम करते हैं ? उनकी पूरी जानकारी दें। उन सबके पिता का नाम, पता और टेलीफोन नं. बतायें। दैनिक वेतनभोगियों का भी पूरा विवरण दें। सब को पिछले 15 साल में प्रतिवर्ष कितना वेतन दिया गया ? पिछले 15 साल में कहाँ- कहाँ से कितनी कर - राशि किन- किन प्रकार के व्यक्तियों, बैंकों और कम्पनियों ने दी है ? सबका विवरण उपलब्ध करायें। रु.10/- का बैंक ड्राफ्ट संलग्न है। क्या इतने सारे वर्णनात्मक विवरण सिर्फ एक आवेदक द्वारा चाहीं गयी सूचना है ? और सूचना का अधिकार क्या सिर्फ व्यक्तिगत 'चाहतों' को पूरा करने लिए अनजान लोगों के बारे में व्यक्तिगत और अनावश्यक जानकारी इकट्ठा करना है जिनका कोई जनहित प्रयोजन नहीं ? सिर्फ रु. 10/- में पूरे भारत का नक्शा उत्तर आता है। यह आवेदन भारत के कोने- कोने में बिजली की तेज़ी से दौड़ता है। लोग रिसर्च का काम भी इससे कर रहे हैं। रु. 10/- में भरपेट खाना नहीं मिलता मगर भरपेट सूचना मिल जाती है। सरकारी अधिकारी

का बवजह परशान करन का एक तराका हाथ म आ गया हा। सूचना माँगने और बेमतलब के प्रश्न पूछनेवाले का पता भी अस्पष्ट - सा रहे हैं। श्री चन्द्र- बंदू, शर्मा दर्जी के घर में, बड़े नाले के पास, दिल्ली। इन्हें प्रश्न लिखकर सूचना का कारण या जनहित संबंधी प्रयोजन पूछें से उत्तर कभी नहीं मिलता। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सूचना से आपको कोई संबंध नहीं है या भ्रष्टाचार का इल्जाम या जनहित से संबंधी कारण भी आपके पास नहीं हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ प्रश्न पूछें अब रिसर्च के लिए सरकारी आँकड़ों का बैंक बनाने के लिए इस संवेदनशील अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या सूचना माँगने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है? सभी कर्मचारी चुपचाप उत्तर दे रहे हैं- उठे- सीधे। चुप! नहीं तो कान कटेगा! केंद्रीय सूचना आयोग बैठे हैं। कहीं किसी ने उल्टी- सीधी अपील कर दी तो फिर समझना सरकारी नौकरी शांति से कर पाना अब कठिन हो गया है। बोल कठिन है, न बोलना और भी कठिन।

अंग्रेजी की एक कहावत है जिसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

पावर करपर्ट्स ऐंड एब्सोल्यूट पावर करपर्ट्स एब्सोल्यूटली।

अर्थात्, शक्ति या अधिकार व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है और सम्पूर्ण अधिकार सम्पूर्ण रूप से भ्रष्ट बनाता है। जैसे सरकारी अधिकार का एक अधिकारी को भ्रष्ट कर सकता है, उसी प्रकार सूचना माँगने अधिकार का दंभ भी कई लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। 10 टके में कोई खदूस पूरे देश की प्रशासनिक मशीनरी के कल- पुर्जी को आमल- दृष्टि हिला देने का सुख प्राप्त कर उस सूचना का व्यापार कर रहा है। पहली सूचना जरूरी बातों तक सीमित थी। अनावश्यक प्रश्न कभी- कभी अवांछित मेहमान की तरह टपक पड़ते थे और किसी एक शहर- इलाके तक सीमित थे। पर आज अधिकांश लोग पूरे भारत में 'डाटा बैंक' या सूचना- कोश बनाने लगे हैं। अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सूचनाएँ इकट्ठी कर उह्हें ब्लैकमेल करने लगे हैं। अधिकार के दुरुपयोग का जो इल्जाम सरकारी अधिकारी पर थोपा जाता है, वही दुरुपयोग आज रु.10/- के नोट पर सवार होकर पूरे देश की सैर कर सूचना माँगनेवाला अधिकारी कर रहा है। समय आ गया है कि सूचना अधिकार का दुरुपयोग करने वाले निकम्मे, ठग किस्म के इन तथाकथियों 'अधिकारियों' पर नकेल कसी जाय। आत्मरक्षा के लिए बंदूकएक आवश्यक

हाथयार ह पर लागा का परशन करन आर धमकान वाला बढ़क मात्र एक आतंकी औजार है जिसे नियन्त्रित करना अति आवश्यक है। अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए और किसी विषय पर रिसर्च की सामग्री जुटाने के लिए पूरे भारत के आँकड़े इकट्ठे करना, सारे देश को परेशान करना, सबका समय बर्बाद करना, निजी स्वार्थ के लिए पूरे देश की मशीनरी का व्यर्थ इस्तेमाल करना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही है। आम लोगों में अधिक सूचना का लालच आ गया है, असुरक्षा की जगह अति- सुरक्षा की भावना आ गई है कि सरकारी सेवक तो एक निरीह प्राणी और असुरक्षित व्यक्ति है जिसे छेड़ने- परेशान करने पर अपना कोई नुकसान नहीं। इसका कोई माई- बाप तो है नहीं। ऊपर से भी इसे ही छिड़की मिलेगी। अतः आज एक कार्यालय को नहीं, बल्कि पूरे देश की मशीनरी को फालतू प्रश्नों से भरा जा रहा है।

**अतः यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि
मांगी गयी सूचना निजी कार्य के लिए आवश्यक हो।
मांगी गयी सूचना जनहित में हो।**

किसी के गलत काम का इलाजम या कुछ जानकारी आवेदनकर्ता के पास हो जिसकी वह पुष्टि करना चाहता हो जिससे समाज की कोई भलाई हो। अँधेरे में तीर - तुकड़े न चलाए जाएँ। मांगी गयी सूचना विशेष मामले और विशेष विभाग से संबंधित हो। उसमें पूरे देश की जनगणना - सा विस्तार न हो। रु. 10/- की रकम किसी विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए भुगतान होती है, सामान्य ज्ञान की कोचिंग क्रास करने या सूचना- कोश तैयार करने के लिए नहीं। अतः रु. 10/- की रकम में सिर्फ एक सूचना दी जाय। पूरे देश के बारे में पूछे जाने वाले बेकार प्रश्नों को मना किया जाय। सूचना प्राप्त करनेवाला उसका गलत इस्तेमाल न कर रहा हो या पैसे के बदले किसी को बेच न रहा हो। बेकार, निरर्धक और अनावश्यक वर्णनात्मक सूचनावाले प्रथित्यों का आवेदन स्वीकृत न किया जाय। सूचना के नोडल ऑफिसर को ऐसी सूचना से मना करने का दायित्व दिया जाय और परेशान करनेवाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही की जाय। इससे पहले कि अनावश्यक सूचनाएँ इकट्ठी करने का यह शौक एक बिजनेस बनकर पकड़ों की तरह 'फैलने- फूलने' लो, ये सभी कदम शीघ्र उठाना आवश्यक है।

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने से पहले इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाये सरकार

डॉ. नीलम महेंद्र

उत्तर प्रदेश के उलट अगर केरल का उदाहरण लिया जाए तो केरल में सबसे कम सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होने के साथ-साथ उच्चतम जीवन प्रत्याशा और उच्चतम लिंगानुपात है। यानी जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रण में है, लोगों का जीवन स्तर बेहतरी की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने के फैसले ने इस विषय को राजनीतिक गलियारों में चर्चा से लेकर आम लोगों के बीच सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। राजनीतिक दल और अन्य संगठन अपने अपने गोटबैंक और राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर इसका विरोध अथवा समर्थन कर रहे हैं। लैंकिन अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो यह विषय अत्यंत गम्भीर है जिसे गोटबैंक की राजनीति ने संवेदनशील भी बना दिया है।

देशों की सामूहिक जनसंख्या 17 प्रतिशत के आसपास है और अकेले भारत की जनसंख्या 16.7 प्रतिशत। इस विषय का इससे भी अधिक चेंटोजनक पहलू यह है कि भारत के एक राज्य की जनसंख्या की तुलना कई देशों की कुल जनसंख्या से की जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील, महाराष्ट्र की मैरिस्को, बिहार की फिलीपीस, पश्चिम बंगाल की विधानाम, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की तुर्की और कर्नाटक की इटली के बराबर है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति केतना गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस जनसंख्या के मामले में नौवें स्थान पर है। और जो चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है वो चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर आता है जबकि भारत आठवें स्थान पर। यानी भारत के पास भूमि कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि जब भारत यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ चीन को पछाड़ कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो क्या स्थिति होगी। क्या इन परिस्थितियों में कोई भी देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़कर अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कल्पना भी कर सकता है? लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहाँ हर विषय वोटबैंक से शुरू हो कर वोटबैंक पर ही खत्म हो जाता है। खेती किसानी हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा जनसंख्या जैसे मूलभूत विषय ही क्यों न हों सभी को वोटबैंक की राजनीति से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ ऐसे ही रहते हैं।

किसी समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में कोई कानून या नीति लेकर आता है तो विपक्ष उसके विरोध में उतर आता है। इस समय देश वाकई में अजीब दौर से गुजर रहा है जहाँ समस्या से अधिक विकट देखा के मौजूदा हालात हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक प्रतीत हो रहा है तो दूसरी तरफ इस विषय का राजनीतिकरण कर बड़े पैमाने पर इसलिए विरोध होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए जनसंख्या से संबंधित कोई भी कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि इस विषय में जनसंख्या का जागरूकता लाई जाए। इससे लोग बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों और सीमित परिवार के फायदों से परिचित ही नहीं होंगे बल्कि इस विषय के दुष्प्रचार से भ्रमित होने से भी बचेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सोचा गया है। इसलिए प्रस्तावित नीति में परिवार नियोजन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं तो अधिक बच्चों वाले परिवारों को इस सुविधाओं से वर्चित रखा जा रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है।

उत्तर प्रदेश के उल्ट अगर भारत के ही राज्य केरल का उदाहरण लिया जाए तो केरल में सबसे कम सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है के साथ-साथ उच्चतम जीवन प्रत्याशा और उच्चतम लिंगानुपात तयारी जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रण में है, लोगों का जीवन स्तर बेहतरीनी की ओर अग्रसर है और लड़का लड़की का अनुपात भी देश में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि केरल केवल जनसंख्या के मामले में बेहतर नहीं है वो साक्षरता के मामले में भी सबसे अधिक साक्षरता तथा के साथ भारत का अग्रणी राज्य है। जबकि उत्तर प्रदेश ना सिर्फ जनसंख्या

के मामले में 29वें पायदान पर आता है बल्कि लिंगानुपात में भी 26वें पायदान पर आता है। यहाँ यह बता दिया जाए कि केरल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यह समझें कि जनसंख्या को कानून से ही नियंत्रित किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। कानून अपने आप में अपर्याप्त रहेगा जब तक लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार न करना चाहें। इसलिए सरकार चाहे किसी राज्य की हो या केंद्र की जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर जल्दबाजी में कानून लाकर जनसंख्या को कितना नियंत्रित कर पाएगी यह तो समय बताएगा लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे देगी। जैसे हमने मूस्टिक को कानूनी तौर पर बैन करने से पहले से देश में मूस्टिक मुक्ति को जन आंदोलन बनाया, देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता को भी जन आंदोलन बनाकर उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून के साथ-साथ जनजागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए ताकि लोग स्वेच्छा से इसमें भागीदार बनें और विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जम्मू-कश्मीर इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। चूँकि वहाँ के लोग जागरूक हो चुके थे इसलिए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के समय विपक्षी दलों के विरोध को जनता का समर्थन नहीं मिला। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों में भी स्थानीय लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित गुपकार गठबंधन को नकार दिया था। इसलिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों और सीमित परिवार के फायदों के प्रति अगर लोग जागरूक होंगे तो कोई दल कोई संगठन बॉट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जितना जरूरी है उतना ही जनसमर्थन भी जरूरी है जो जनजागरण से ही संभव है।

असम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सांजिश का इशारा, सीएम हिंमंत बिस्च सरमा बोले- सामने लाना जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम के खिलाफ क्या अंतर्राष्ट्रीय सांजिश हो सकती है? टिप्पणी पर 'शेम ऑन असम' ट्रैड को लेकर मुख्यमंत्री हमित विस्च समस्या ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इसके पीछे कौन लगा है।

असम में विकास नाम के एक डिजिटल जानकार ने दावा किया है कि 'शेम ऑन असम' हैंडट्रैप को लेकर मुख्यमंत्री हमित विस्च समस्या ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इसके पीछे कौन लगा है।